

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001
::: अधिसूचना :::

रायपुर दिनांक 06 सितम्बर, 2008

क्रमांक: एफ-2-15/2008/1-6 सुअप्र :: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त, के पद पर श्री अनिल जोशी, अधिवक्ता बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(व्ही0के0 राय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ-2-15/2008/1-6 सुअप्र, रायपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 08
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकर, छत्तीसगढ़ रायपुर,
2. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली,
3. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन, रायपुर,
4. मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर,
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय रायपुर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
7. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. सचिव, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,
9. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमशः...2

10. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, रायपुर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
 12. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
 13. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
 14. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
 15. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
 16. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर छत्तीसगढ़,
 17. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य मंत्रालय, रायपुर,
 18. श्री अनिल जोशी, अधिवक्ता, आर-5, इन्द्रप्रस्थ, साकेत परिसर, अग्रसेन चौक, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) - 495001,
 19. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
20. नियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर, मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतियां अभिलेख के लिये इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।



उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 सितम्बर 2008—भाद्र 15, शक 1930

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-15/2008/1-6 सुअप्र.—सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 (3) में प्रदत्त शक्ति श्रेणी को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त, के पद पर श्री अनिल जोशी, अधिवक्ता, बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव।